झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु कोडरमा जिलान्तर्गत 18 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 222.81 लाख (रूपय दो करोड़ बाईस लाख एक्कयासी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु कोडरमा जिलान्तर्गत 18 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 222.81 लाख (रूपय दो करोड़ बाईस लाख एक्कयासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. यह प्रस्ताव प्रबंध निदेशक झालको द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन के आधार पर तैयार किया गया है जिसके अनुसार योजनाओं की कुल लागत राशि रू॰ 222.81 लाख है। उक्त योजना से वर्त्तमान में कुल 42 हे0 क्षेत्र में सिंचाई हो रही है योजनाओं में पूर्ण होने के उपरान्त 200 हे॰ खरीफ एवं 49 हे॰ रब्बी, कुल 249 हे॰ सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 89481/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संसूचित है।
3. इन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(क) प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रस्तावित पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र के लिए जल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ख) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ग) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा, एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच अवर क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा (50%) पचास प्रतिशत जाँच क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(ङ॰) वैसे भूखण्ड पर निर्मित होने वाले सिंचाई योजनाएँ जिनमें भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाता है उनका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना निर्माण का कार्य संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कराया जाएगा।

(च) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(छ) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति प्रबंध निदेशक झालको द्वारा दी जाएगी।

(ज) उपरोक्त कंडिका '3' (क), (ख), (ग), (घ), (ड॰), (च) एवं (छ) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

4. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्नरूप से भारित होगा–
परिशिष्ट–I की योजनाओं पर होनेवाली व्यय की राशि बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय– लघु शीर्ष –101–सतही जल–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण'' में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इन योजनाओं को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में पूर्ण किया जायगा।

6. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जायगा।

7. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।

8. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, झालको होंगे।

9. इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

10. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य हेतु राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/../**राँची, दिनांक** ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/../**राँची, दिनांक** ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–223/2014/ 46 47/14-1549.10. /राँची, दिनांक 20/X/14
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

20/10/14
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)
20/10/14

लघु सिंचाई [illegible]

क्र०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	ग्राम	प्रखण्ड	राशि	प्रस्तावित कार्य	सिंचाई [illegible] खरीफ	रब्बी	योग	Cost per Ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रबंध निदेशक, झालको	भगत आहर का जीर्णोद्धार	बेकोबार	कोडरमा	16.450	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	3	15	126538	
2		शिवमंदिर आहर का जीर्णोद्धार	चिगलावार	कोडरमा	9.065	तालाब का जीर्णोद्धार	7	2	9	129500	
3		करसगरहा तालाब का जीर्णोद्धार	सलैया	कोडरमा	11.800	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	10	3	13	107272	
4		झोखिया आहर का जीर्णोद्धार	रूपयडीह	जयनगर	14.500	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	10	3	13	131818	
5		शमशान घाट आहर का जीर्णोद्धार	वूचीटांड	कोडरमा	12.900	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	10	2	12	129000	
6		आसू आहर का जीर्णोद्धार	गरगडीहा	मरकच्चो	5.887	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	7	3	10	73587	
7		इन्द्रामन आहर का जीर्णोद्धार	डोमचॉच	डोमचॉच	12.600	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	3	15	96923	
8		आसू तालाब का जीर्णोद्धार	जोगीडीह	मरकच्चो	15.450	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	3	15	118846	
9		मंझलादोहर आहर का जीर्णोद्धार	तेलोडीह	मरकच्चो	12.909	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	10	2	12	129090	
10		कोसडीहरा आहर का जीर्णोद्धार	जामु	मरकच्चो	21.697	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	3	15	144646	
11		मना आहर का जीर्णोद्धार	सिमरिया	डोमचॉच	17.300	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	22	3	25	86500	
12		चरकी पहाडी आहर का जीर्णोद्धार	हल्हो	जयनगर	10.880	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	15	3	18	68000	
13		वनियाँ तालाब का जीर्णोद्धार	गरहाय	कोडरमा	9.600	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	8	2	10	120000	
14		अनुसूचित जाति आहर का जीर्णोद्धार	मरकच्चों	मरकच्चो	4.700	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	7	3	10	58750	

[signature] /8/14
संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

Oct.

3_223_14

(राशि लाख रू0 में)

क्र०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	ग्राम	प्रखण्ड	राशि	प्रस्तावित कार्य	सिंचाई क्षमता (हे०)			Incidence of Cost per Ha.	अ
							खरीफ	रब्बी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	प्रबंध निदेशक, झालको	मानोक मुण्डा जालेखान आहर का जीर्णोद्धार	अम्बाडीह	मरकच्चो	6.100	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	2	14	50833	
16		तालाब का जीर्णोद्धार	खटोलिया	मरकच्चो	5.723	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	7	3	10	71537	
17		खगरवा आहर का जीर्णोद्धार	अमझों	जयनगर	16.359	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	12	3	15	125838	
18		शिवा आहर का जीर्णोद्धार	अरगोरा	चन्दवारा	18.890	तालाब का जीर्णोद्धार एंव 1 अदद् आउटलेट का निर्माण	15	3	18	145307	
					222.810		**200**	**49**	**249**		

20/10/14

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

96

3_223_14